

~~सुनीता~~

सुनीता पद

~~सुनीता~~

31.8.20



M.K.P.

श्रीमान जी,

निवेदन है कि अश्लील विवाह की पद्धत

सुनीता के पिता द्वारा मोरारजी का अश्लील पेश का विवेक

रिफा है कि मेरी पुत्री का विवाह अश्लील पद्धत से कराया गया है।

प्राची की पुत्री सुनीता की जन्मतिथि 02.10.2002 अंकित

की गई है। प्राची का पुत्री नाबालिग है। नाबालिग का

विवाह गलत तौर से कराया गया है जिसके सम्बन्ध में

समेजा कोठी थाना में एफ.आर.आर. नं. 112/20 अर्हण

द्वारा 363-366 IPC व 3 S.C./S.T. Act में दर्ज हो चुकी है

विधि के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग का विवाह

कानूनन नहीं हो सकता तथा ना ही विवाह पंजीयत ही

रिफा जा सकता है

लिहाजा आपसे श्रेय लाने के लिए मैं

आपसे सुनीता का विवाह पंजीयत रद्द करने का

आदेश प्रार्थना करता हूँ।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है

~~Aamr~~

सुनीता पद

31/8/20

M.K.P.

~~सुनीता~~